प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –60 / 2023

अनवान : –

1. संतलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पारो पुत्री ख्याली जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 24/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 184 / 50 की कुल 0. 8630 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ख्याली पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज है व 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के पिता ख्याली पुत्र मामचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद कानूनी वारिस वादी व प्रतिवादी स0 1 व 3 है तथा वादी के मृतक पिता के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 व 3 का बहिब का हक हिस्सा है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में ख्याली पुत्र मामचन्द व मृत्यु प्रमाण पत्र में ख्यालीराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है तथा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है एवं प्रतिवादी स0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दलीप पुत्र मामचन्द दर्ज है जबकि सही नाम दीपाराम पुत्र रामचन्द है उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के प्रतिवादी स0 2 के नाम है।

रोही मौजा 19 एनटीआर के खाता स0 154 / 50 की कुल 0.8630 हैक भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक ख्याली पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कह[illegible]दी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री [illegible]वें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मृत्युप्रमाण पत्र चित्रप्रति ख्यालीराम प्रदर्श–1, सरपंच प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, वारिसा प्रमाण पत्र सरपंच पदमपुरा प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र शांतिदेवी प्रदर्श–4, आधारकार्ड प्रति प्रदर्श–5, सरपंच प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, फोटोप्रति उपखण्ड रावतसर के निर्णय दिनांक 06.01.2021 प्रदर्श–7, जमाबंदी रोही मौजा चक 13 एनटीआर सम्वत 2073–2076 प्रदर्श–8, आधारकार्ड फोटोप्रति प्रदर्श–9 आदि प्रर्दशित करवाए। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 184/50 की कुल 0.8630 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ख्याली पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज है व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 7 से यह प्रमाणित है कि दलीप पुत्र मामचन्द एवं दीपराम पुत्र रामचन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 184/50 की कुल 0.8630 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ख्याली पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज है, में मृतक ख्याली पुत्र मामचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 3 को बहिब के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खतोदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा प्रतिवादी स0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –60 / 2023

अनवान : –

1. संतलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जगदीश पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. दीपाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. पारो पुत्री ख्याली जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 184 / 50 की कुल 0.8630 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के मृतक पिता ख्याली पुत्र मामचन्द के नाम दर्ज है, में मृतक ख्याली पुत्र मामचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी वव प्रतिवादी स0 1 व 3 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा प्रतिवादी स0 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan.
Date: 2023.12.21 17:25:55 IST
Reason: SelfAttested